

(313)

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(चकबंदी निदेशालय)

आदेश

आदेश सं०- 12/चक० -मु०-05-05/2005

636 /चक०, पटना दिनांक 01/10/2020

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका सं० 970/2019 (गिरजा राम बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) में दिनांक 07.09.2020 को पारित न्यायादेश एवं समादेश याचिका सं० 25103/2019 (बिन्दु देवी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य) के अनुपालन के क्रम में चकबंदी निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों को ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० के स्वीकृति के बिन्दु पर गठित स्क्रीनिंग-सह-प्रोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.09.2020 को आयोजित की गई।

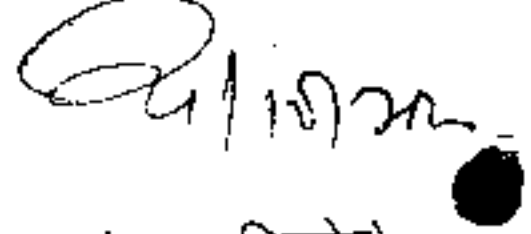
दिनांक 29.09.2020 को स्क्रीनिंग-सह-प्रोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार निम्नलिखित कर्मियों के नाम के सामने अंकित स्तम्भ 05, 06 एवं 07 में अंकित तिथि से वेतनमान में क्रमशः 12, 24 एवं 30 वर्षों की सेवा उपरान्त प्रथम एवं द्वितीय ए०सी०पी० एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

| क्र०                    | नाम<br>पदनाम<br>जन्मतिथि<br>सेवानिवृत्ति तिथि                                                    | वर्तमान<br>पदस्थापन                                                                               | नियुक्ति तिथि<br>/सेवा सम्पुष्टि<br>की तिथि | देय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०<br>(तिथि एवं वेतनमान ग्रेड पे सहित/मैट्रिक्स पे-लेवल) |                         |                                  | अभ्युक्ति                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                                                                                                  |                                                                                                   |                                             | प्रथम                                                                          | द्वितीय                 | तृतीय                            |                                                                                                                                                                                                 |
| 1                       | 2                                                                                                | 3                                                                                                 | 4                                           | 5                                                                              | 6                       | 7                                | 8                                                                                                                                                                                               |
| (प्रारूपक) - (कुल - 01) |                                                                                                  |                                                                                                   |                                             |                                                                                |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.                      | स्व० नेम कुमार<br>तिवारी,<br>तत्कालीन<br>प्रारूपक<br>09.12.1950<br>मृत्यु की तिथि-<br>03.01.2007 | चकबंदी<br>कार्यालय,<br>बिहियाँ<br>(भोजपुर)<br>सम्प्रति<br>अंचल<br>कार्यालय,<br>अगिआँव<br>(भोजपुर) | 09.04.1975<br>09.04.1985                    | 09.08.1999<br>4500-7000                                                        | 09.08.1999<br>5000-8000 | अनुमान्य नहीं                    |                                                                                                                                                                                                 |
| कार्यालय परिचारी - (01) |                                                                                                  |                                                                                                   |                                             |                                                                                |                         |                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| 2.                      | श्री गिरजा राम<br>(सेवानिवृत्त<br>कार्यालय<br>परिचारी)<br>21.06.1949<br>30.06.2009               | चकबंदी<br>कार्यालय,<br>काको<br>(जहानाबाद)                                                         | 31.08.1974<br>31.08.1984                    | 09.08.1999<br>2750-4400                                                        | 09.08.1999<br>3050-4590 | 01.01.2009<br>5200-20200<br>2400 | वित्त विभाग<br>के संकल्प<br>ज्ञापक<br>3972<br>दिनांक<br>12.05.2016<br>के आलोक<br>में<br>ए०सी०पी०/<br>एम०ए०सी०पी०<br>के तहत<br>वेतन<br>संरचना एवं<br>ग्रेड पे में<br>अनुमान्य<br>किया गया<br>है। |

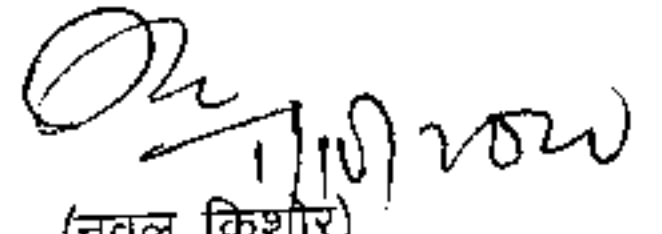
(2) यदि वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप अधिक राशि का भुगतान किये जाने पर अंतर राशि की वसूली एकमुश्त में कर ली जायेगी।

(3) सुनिश्चित/रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ मात्र उच्चतर वेतनमान/उच्चतर ग्रेड पे तक ही सीमित है। यह कोई नियमित प्रोन्नति नहीं है। कर्मियों की पारस्परिक वरीयता प्रभावित नहीं होगी।

1312  
(4) उक्त प्रस्ताव पर निदेशक, चकबंदी का अनुमोदन प्राप्त है।

  
(नवल किशोर)  
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),  
बिहार, पटना।

ज्ञापक-12/चक०-मु०-०५-०५/२००५ 636/चक०, पटना दिनांक ०१/१०/२०२०  
प्रतिलिपि - महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/कोषागार पदाधिकारी,  
भोजपुर/जहानाबाद/उप निदेशक, चकबंदी, राज्य योजना, गया/अंचलाधिकारी-सह-चकबंदी पदाधिकारी, काको  
(जहानाबाद)/अंचलाधिकारी, अगिआँव (भोजपुर) एवं श्रीमती बिन्दु देवी, पति-स्व० नेम कुमार तिवारी, पता-महाजन टोली नं० ०२,  
आरा (भोजपुर)/श्री गिरजा राम, सेवानिवृत्त कार्यालय परिचारी, पता-ग्राम+पोस्ट-सोलाहांडा, थाना-मखदुमपुर, जिला-जहानाबाद  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(नवल किशोर)  
संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मु०),  
बिहार, पटना।